न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 58/2010 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2010/00013

उनवान

टीकाराम पुत्र रज्जन जाति धाकड निवासी बिचपुरी पट्टी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. भूदेव सिंह पुत्र रज्जन जाति धाकड निवासी बिचपुरी पट्टी वैर हाल आबाद केशोरायपाटन जिला बून्दी राज0 (मृतक)
   1/1. दलपत सिंह पुत्र स्व0 भूदेव सिंह जाति धाकड निवासी बी–161 इन्द्रा बिहार कालौनी कोटा राज0 (मृतक)
   1/1/1. दीपक धाकड पुत्र स्व0 दलपत सिंह जाति धाकड केयर ऑफ श्री प्रताप सिंह धाकड प्रताप मैडीकल पूर्व वाईस चेयरमेन नगर पालिका केशोरायपाटन जिला बूंदी राज0
   1/1/2. श्रीमती ज्योति धाकड पुत्री स्व0 दलपत सिंह धाकड पत्नी विष्णु धाकड केयर ऑफ श्री प्रताप सिंह धाकड प्रताप मैडीकल पूर्व वाईस चेयरमेन नगर पालिका केशोरायपाटन जिला बूंदी राज0
   1/1/3. श्रीमती ममता धाकड पुत्री स्व0 दलपत सिंह धाकड पन्ती बृजेश कुमार केयर ऑफ धनश्याम नागर कम्पाउण्डर पी0 ओ0 खेदाबाद तहसील रामगंज मण्डी जिला कोटा।
   1/2. बदन सिंह पुत्र स्व0 भूदेव सिंह जाति धाकड निवसी 5 के 76 शिवाजी पार्क अलवर राज0
   1/3. प्रताप सिंह पुत्र स्व0 भूदेव सिंह जाति धाकड निवासी द्वारा प्रताप मैडीकल हाल केशोरायपाटन जिला बून्दी राज0
   1/4. हरीओप पुत्र स्व0 भूदेव सिंह जाति धाकड निवासी द्वारा प्रताप मैडीकल हाल केशोरायपाटन जिला बून्दी राज0।
   1/5. श्रीमती विजयलक्ष्मी पुत्री भूदेव सिंह धर्म पत्नी स्व0 सत्यप्रकाश जाति धाकड निवासी 3/153 रूई की मण्डी शाहगंज आगरा उ0प्र0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1/6. श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्व0 भूदेव सिंह धर्म पत्नी भूदेव जाति धाकड निवासी 4 के 225 नियर मामा फैक्ट्री अलवर राज0।

1/7. श्रीमती संजयकुमारी पुत्री स्व0 भूदेव सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति धाकड निवासी ए–18 गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

1/8. श्रीमती श्याम कंवर पुत्री स्व0 भूदेव सिंह धर्म पत्नी राकेश कुमार जाति धाकड निवासी 13 ऐयर पोर्ट कालौनी हवाई पट्टी के सामने सांगानेर जयपुर।

2. गोविन्द सिंह पुत्र रज्जन जाति धाकड निवासी बिचपुरी पट्टी कस्बा वैर हाल आबाद जयपुर राज0।

3. ख्यालीराम पुत्र रज्जन जाति धाकड निवासी बिचपुरी पट्टी कस्बा वैर तहसील वैर हाल आबाद अलवर राज0।

4. बदन सिंह पुत्र भूदेव जाति धाकड निवासी बिचपुरी पट्टी कस्बा वैर हाल आबाद अलवर राज0।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 06.08.2010 प्र.सं. 188/06 उनवानी टीकाराम बनाम भूदेव सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा एवं श्री पंकज कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक–25.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वास्ते दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम विचपुरी पट्टी तहसील वैर में स्थित है। वादी/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 सगे भाई हैं। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 शुरू से अपने कारोबार व सर्विस हेतु अधिकांश समय बाहर ही निवास करते हैं केवल वादी/अपीलाण्ट ही मुख्यतः पैतृक समय से कृषि से जुडा रहा है एवं अपने पूर्वजों की छोडी हुई आराजी की देखभाल एवं कृषि करता है। विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से वादी/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के पिता रज्जन की खुद काश्त की आराजी रही है एवं पिता रज्जन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के स्वर्गवास होने के बाद वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को वहिस्सा बराबर विरासतन प्राप्त हुई है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी/रैस्पो0 भूदेव के नाम बडा पुत्र होने एवं कर्ता खानदान होने के कारण आ गये हैं। वादी/अपीलाण्ट ने अपने हिस्से की आराजी का क्रेडिट कार्ड हेतु इन्द्राज दुरूस्ती कर खातेदारी में नाम जुडवाने को कहा तो प्रतिवादी/रैस्पो0 द्वारा विवादित आराजी में वादी/अपीलाण्ट के निहित हिस्से 1/4 से साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया ना ही उन्हें समझने की कोशिश ही की है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने अपने जवाव दावा में भी विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति स्वीकार किया है तथा अपीलाण्ट का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा माना है तथा इसी तथ्य को स्वीकार करते हुये रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा भी पेश किया गया है, जब रैस्पो0 विवादित आराजीयात को रज्जन की खातेदारी की आराजी मानते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट का दावा डिक्री करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 संख्या 04 के कथनो पर विश्वास करते हुये दावा अपीलाण्ट खारिज करने में कानूनी भूल की है, जब रैस्पो0 संख्या 04 का पिता ही यह मानता है कि विवादित आराजी मुतनाजा उसके पिता रज्जन की पैदा कर्ता है तो उसके बेटा, अपने पिता की पैदा कर्दा जायदाद कैसे मान सकता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी मुतनाजा पर रैस्पो0 को किस प्रकार खातेदारी मिली यह तथ्य रैस्पो0 ने अपने जवाब दावा या साक्ष्य से साबित नहीं किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1983 पेज 310, 1975 पेज 17, 1981 पेज 17, 1986 पेज 226, आरआरटी 2013(2) पेज 1128 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति ना होकर भूदेव की स्वःअर्जित सम्पत्ति है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त ही रहा है। रैस्पो0 के पिता भूदेव की दिमागी हालात खराब है, अपीलाण्ट ने उनकी बीमारी का गलत फायदा उठाते हुये, अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी बाबत् फर्जी तरीके से राजीनामा प्रस्तुत कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की विवेचना उपरान्त तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 07 तनकियॉ निर्धारित की हैं। उक्त तनकियों में तनकी संख्या 01 व 02 वादी के वाद को सिद्ध करने के लिये महत्वपूर्ण तनकी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैं :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया विवादित आराजी मुन्दर्जे मद नं0 04 दावा हाजा पुश्तैनी खेवट व विश्वेदारी की मिल्कीयत की भूमि है"** अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी को तय करते समय मात्र खसरा गिरदावरी में भूदेव की काश्त दर्ज होने का सहारा लेते हुये, विरूद्ध वादी तय की है। हम पाते हैं कि पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2009–12 में विवादित आराजी सम्पूर्ण पर खुदकाश्त रज्जन हिस्सेदार दर्ज है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी तय करते समय जिस खसरा गिरदावरी का सहारा लिया है, में कुछ ही खसरा नम्बरान पर भूदेव की काश्त दर्ज है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 इकबाल दावा पेश कर दावे को सही बताते हुये स्वीकार किया है इतना ही नहीं पत्रावली में संलग्न राजीनामा दिनांक 28.09.2006 में भी विवादित आराजी का भूदेव के बडा लडका होने के कारण हुये गलत इन्द्राजों को दुरूस्त कराकर चारा भाइयों को वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार व काबिज घोषित करने बाबत् तस्दीक हुआ है। आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार जहॉ एक पक्षकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाता है एवं लिखित में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसके आधार पर दावा डिक्री किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति का अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के तनकी निष्कर्ष स्थिर रहने लायक नहीं है।

7. <u>तनकी संख्या 02</u> **" आया प्रतिवादी संख्या 01 के नाम बडा होने के कारण इन्द्राज हो गया खुदकाश्त का इन्द्राज गलत है"** जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है प्रतिवादी ने वादी के वाद को इकबाली जवाबदावा एवं राजीनामा देकर स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के प्रावधानो के अनुससार पक्षकारो के मध्य हुए समझौते को मानते हुए वाद का निर्णय किया जाना न्यायहित में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यक एवं उचित है। अतः इस तनकी को भी पुनः विनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

8. <u>तनकी संख्या 03</u> **"आया प्रतिवादी द्वारा वादी को दिनांक 03.09.2001 को 1/4 हिस्सा से बेदखल करने तथा भूमि को दीगर जगह रहन वय व मुन्तकिल करने की धमकी दी"** तनकी संख्या 03 कॉज ऑफ एक्शन प्रतिवादी द्वारा धमकी दिए जाने बाबत् तकनीकी तनकी है। पत्रावली पर धमकी दिये जाने बाबत् निश्चित साक्ष्य नहीं है। अतः इस बिन्दु पर उभयपक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य का अवसर देकर पुनः सुनवाई की आवश्यकता है।

9. <u>तनकी संख्या 04</u> **" आया विवादित आराजी से सम्बन्धित अन्य दावा बदन सिंह बनाम भूदेव न्यायालय हाजा में पैंडिग होने से यह दाव 10 सीपीसी के तहत स्टे योग्य है"** अधीनस्थ न्यायालय के इस तनकी बाबत् निष्कर्ष में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

10. <u>तनकी संख्या 05 लगायत 07</u>, उपरोक्त तनकियों की विवेचका के परिपेक्ष्य में प्रभावहीन हैं।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

12. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2010 अपास्त किये जाते हैं। साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचना अनुसार पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें।

13. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर